अब ई–टेण्डरिंग से आवंटित होंगे खनन पट्टे उत्तर प्रदेश में

लखनऊ, 30 मई 2012:

उत्तर प्रदेश में सूचना प्रोद्यौगिकी के उपयोग से स्वच्छ व सक्षम प्रशासन व्यवस्था स्थापित करने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के मिशन का अनुसरण करते हुए आज राज्य सरकार ने प्रदेश में खनन पट्टों के आवंटन में ई–टेण्डरिंग को अनिवार्य कर दिया। इससे खनन पट्टों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी तथा अवैध खनन पर रोक लगेगी।

अवास्थपना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (आई.आई.डी.सी.) अनिल कुमार गुप्ता ने बताया, "खनन पट्टों के आवंटन में खनन माफिया के कुप्रभाव व भ्रष्टाचार की शिकायतें लगातार मिल रही थीं, इसलिए मुख्यमंत्री ने स्वयं पहल करते हुए इस क्षेत्र में सूचना प्रोद्योगिकी का उपयोग कर आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायोचित बनाने के लिए निर्देशित किया।"

नई ई–टेण्डरिंग प्रणाली के बारे में बताते हुए आई.आई.डी.सी. ने कहा कि यह तुरन्त लागू हो गई है और सभी नये खनन पट्टों का आवंटन अब ई–टेण्डरिंग से ही होगा। नये प्राविधान के अनुसार अब 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि के खनन पट्टा–धारक को स्वयं पर्यावरणीय स्वीकृति **(Environment clearance)** प्राप्त करनी होगी, जबकि खनन क्षेत्र 5 हेक्टेयर से कम होने पर इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

ऐसे खनन पट्टे जो इस समय वैध रूप से संचालित किए जा रहे हैं उनको अगस्त 2012 तक पर्यावरणीय स्वीकृति **(Environment clearance)** लेनी होगी।

उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि. इस ई–टेण्डरिंग प्रणाली को लागू करेगा, जिसके अन्तर्गत पंजीकरण, निविदा जमा करना, उनको खोलना व मूल्यांकन सहित आवंटन की सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया अब पारदर्शी रूप से ऑनलाइन होगी। उ.प्र. इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लि. के पास इस कार्य का समुचित अनुभव व संसाधन हैं क्योंकि वह राज्य के अन्य कई विभागों के लिए ई–टेण्डरिंग प्रणाली को लागू कर रहा है।

ज्ञात हो कि अभी तक खनन पट्टों का आवंटन प्रथम आओ–प्रथम पाओ की नीति से जिलाधिकारी कर रहे थे।